न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 38/2017

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
पाबूसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी उटल तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल निवासी फतेहगढ़ तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.07.2017 जो प्रकरण सं. 29/2017 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री मोहनलाल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री सोहनलाल दवे, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13/11/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 29/2017 सरकार बनाम पाबूसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का राजड़ाल द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उटल के खसरा नम्बर 536/377 रकबा 241–10 बीघा किस्म गैर मुमकीन मगरा सरकारी भूमि मे से 00–05 बीघा भूमि पर गैर सायल पाबूसिंह द्वारा कमरा बनाकर व कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल दौरान सुनवाई न तो उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91(2) के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 05.07.2017 के द्वारा 02.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ–साथ 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने एवं विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 10.07.2017 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित रहने से हमने रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। अपीलांट के द्वारा इस अपील के द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं सिविल कारावास का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

5. अपीलांट की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तलबी हेतु जारी नोटिस आबाद मकान पर चस्पा करने

जिला कलक्टर बाड़मेर

का बताया हैं जबकि उक्त नोटिस किस पते पर किन मौतबिरान के रूबरू कहां चस्पा किया गया हैं कोई विवरण उल्लेखित नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया हैं जिस बाबत अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जबकि विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उनकी अनुपस्थिति में किसी प्रकार की सजा के संबंध मे निर्णय नहीं सुनाया जा सकता हैं। अपीलकर्ता भूमिहीन है ऐसे मे अपने व अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु यदि सरकारी कृषि भूमि पर काश्त कर भी ली हैं तो उसे कथित रूप से अतिक्रमी अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना कतई न्यायोचित नहीं होगा, साथ ही अपीलांट के रहवास का एकमात्र सहारा उक्त भूमि ही है जिस पर अपीलांट की वर्षो पुरानी ढाणी बनी हुई है जो हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी वर्षो पुरानी रहवासी ढाणी से बेदखल कर दिया जाता हैं तो अपीलांट व उनका परिवार खुले आसमान के नीचे आ जायेगा, साथ ही अपीलांट के भरण–पोषण की विकराल समस्या आ जायेगी। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश अपास्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव के प्रकरण सं. 29 / 2017 में पारित अपीलाधीन निर्णय मय आदेश दिनांक 05.07.2017 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम उटल के खसरा नम्बर 536 / 377 रकबा 241–10 बीघा किस्म गैर मुमकीन मगरा सरकारी भूमि मे से 00–05 बीघा भूमि पर कमरा बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही कोई जवाब / साक्ष्य प्रस्तुत किये,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने इसी खसरे की सरकारी भूमि पर पूर्व में भी 10—00 बीघा पर अवैध काश्त कर कब्जा किया हैं जिसके लिये निर्णय दिनांक 06.12.2016 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया गया था। इसके बावजूद पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही 60 दिन के कारावास से दण्डित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। लिहाजा अपीलांट की यह अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे।

7. हमने अपीलांट के अपील मीमो में उल्लेखित आधारों एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम उटल के खसरा नम्बर 536/377 किस्म गे0मु0 मगरा भूमि पर रहवासीय ढाणी बनाकर कई वर्षों से निवासरत होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट के आबाद मकान पर रूबरू मौतबिरान चस्पा किया गया हैं जो कि प्रतिस्थापित तामील के रूप मे विधिवत है। इस नोटिस में उल्लेखित पते पर अपीलांट का निवास नहीं होने का कोई कथन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया हैं, तथा अपीलांट को अपीलाधीन कार्यवाही की जानकारी नहीं होने कथन मानने योग्य नही हैं। इसी मुतनाता भूमि पर अपीलांट द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में भी 10—00 बीघा पर अवैध रूप से काश्त कर कब्जा किया था जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई उपरांत अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा पश्चातवर्ती वर्ष में भी अतिक्रमण किया गया हैं जिसके संबंध मे उल्लेख किया है कि वह भूमिहीन हैं तथा उसका पुराना रहवासीय कब्जा हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं। यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 10:21:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: